

रिपोर्ट पटवारी हल्का / आई०एल०आर० समाप्त पुर्वी दुवारा पुस्तुत आधार कार्ड, मत दाता
 पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार शशिन कार्ड भी उपलब्ध है।
 पत्र, शशिन कार्ड भी उपलब्ध है। शपथ पत्र के ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार
 पर पुर्वी के पिता का नाम श्रीराम पुत्र शोनाथ का सही नाम श्रीराम पुत्र सोनाराम है।
 पिता का नाम श्रीराम पुत्र शोनाथ के स्थान पर श्रीराम पुत्र सोनाराम किया जाना उचित है।
उचित है

25/4/23
 प्रथम

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी

25/4/2023

क्रमांक : राजस्व / 2020 /

दिनांक :-

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर विवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है / उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अभिशंका की जाती है / नहीं की जाती है।

तहसीलदार उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला मुकुन्द (रिज.)

-: आदेश :-

दिनांक :- 25/4/23

मु.सं. = 38/2023

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी-सम्बत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
01	चामरा	2075-78	471	इन्द्राण पुत्र शोनाथ नेमिचन्द पुत्र शोनाथ महाजद पुत्र शोनाथ आमराज पुत्र शोनाथ श्रीराम पुत्र शोनाथ शान्ति प्रसि शोनाथ श्रीशराम पुत्र शोनाथ	इन्द्राण पुत्र सोनाराम नेमिचन्द पुत्र सोनाराम महाजद पुत्र सोनाराम आमराज पुत्र सोनाराम श्रीराम पुत्र सोनाराम शान्ति प्रसि सोनाराम श्रीशराम पुत्र सोनाराम

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

प्रशासन गावां के संग अभियान 2021

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

क्रमांक :- राजस्व / 2020 / 07
 प्रतिलिपि :-

दिनांक :- 25/4/2023

1. तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी को वास्ते पालनाथ।
2. प्रार्थी / प्रार्थीया

को सूचनाथ।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

